



## कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल- 462 003)

क्रमांक 198 /सम्पदा-26/2015

भोपाल, दिनांक 10/02/2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक,  
उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट।

विषय— ई-पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेजों में एक से अधिक संव्यवहारों को एक दस्तावेज में सम्मिलित नहीं किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराने बाबत।

उपर्युक्त विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि सम्पदा एप्लीकेशन के अंतर्गत ई-पंजीकृत किए जाने वाले दस्तावेजों में एक से अधिक संव्यवहारों को एक दस्तावेज में सम्मिलित नहीं किया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी दस्तावेज द्वारा विकास प्राधिकरण अथवा गृह निर्माण मंडल अपना भूखण्ड लीज़ पर दे रहा है तथा उसका सुपरस्ट्रक्चर विक्रय कर रहा है, तो इसके लिए दो अलग-अलग दस्तावेज तैयार करना होंगे, एक पट्टा विलेख और दूसरा विक्रय पत्र। कृपया उक्त संबंध में प्राधिकरण तथा मंडल के संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि पक्षकारों को असुविधा न हो।


  
महानिरीक्षक पंजीयन  
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 199 /सम्पदा-26/2015

भोपाल, दिनांक 10/02/2015

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
2. कलेक्टर - जिला उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, अनूपपुर तथा बालाघाट को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु।

  
महानिरीक्षक पंजीयन  
मध्यप्रदेश।